कार्यालय,
सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक– माशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132 लखनऊ: दिनांक: 15-5-2019

–कार्यालय आदेश–

अधिकार प्राप्त समिति डिग्री परिषद द्वारा संबद्धता एवं अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रादेशिक शिक्षा परिषद, 30/30 लखनऊ में सम्बद्धता/अनुमोदन विस्तार पत्रांक एवं दिनांक 14-5-2019 की संख्या प्रादेशिक शिक्षा परिषद, 30/30 लखनऊ की अधिसूचना के परिपेक्ष्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत पूर्व सम्बद्धता विस्तार/अनुमोदन/परिषद क्षमता वृद्धि/ सीट हेतु वर्ष 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने के निमित्त किया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक दि. 09-5-19 को दिनांक 24 फार्मेसी महाविद्यालय आवेदित किये गये जिन्हें गई तथा का प्रकरण रखा गया। समाहार समिति द्वारा दिए विचार-विमर्श का निष्कर्ष निम्न रहा –

**एआईसीटीई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक–2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक–2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019–20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019–20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पीसीआई0 अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।"**

उक्त विनियुक्त समिति द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा दिये गये निर्णय के अनुक्रम में प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन संलग्नक एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

| क्र0 सं0 | संस्था कोड | संस्था का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | एआईसीटीई/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2019-20 हेतु प्रस्तावित प्रवेश क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1644 | केएमवी फार्मेसी कालेज कुबेरपुर, एनएच-2, एत्माद्दपुर, आगरा जिला-आगरा, 283201 | डिप्लोमा इन फार्मेसी | 60 | 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था एआईसीटीई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्रादेशिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्रादेशिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982 तथा इस संबंध निर्गत नियम एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शासन निर्देशन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय कुल प्रवेशवार रु0 90,000.00/- प्रतिवर्ष (दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम की अतिरिक्त) हेतु रू0- 60,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम की अतिरिक्त) हेतु रू0- 30,000.00 प्रतिवर्ष कुल की प्रवेश क्षमता/छात्रों से प्रवेश किया उपरांत) उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में शासन-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और उन्हीं का पालन करना होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं नियमावली, प्रादेशिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्रवेशित चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय समय पर निर्गत विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को संचालन करने हेतु पी0सी0आई0 नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रही है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से परिषद की उत्तरदायी के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रादेशिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रादेशिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रादेशिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा, परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश दिये जाने हेतु आवेदित छात्र परीक्षा हेतु आवेदित छात्र दर्ज के पूर्व निर्देशालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा संस्था प्रवेश हेतु (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा स्वयं स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- संस्था को प्रवेश प्रक्रिया पर संस्था की वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं, जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कोर्स, फैकल्टी, उपकरण, छात्र किस प्रकार शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- संस्था को विज्ञापन/प्रवेश हेतु समुचित व्यवस्था प्रवेश के समय करना होगा। यदि संस्था द्वारा प्रवेश प्रक्रिया अवैधानिक पायी जाती है तो संस्था के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा फार्मेसी/महाविद्यालय को चलाने हेतु निर्धारित समिति के समक्ष प्रस्तावित कार्यों एवं उपलब्ध भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में उपयोग किया जाता है और परिषद को इसकी यह जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कोर्स के लिए कर रही है तो प्रवेशित संख्या की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- सम्बद्धित शर्तों का अनुपालन न किए जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0- माशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1131–1232 दि0 दिनांक: 15-5-2019

प्रतिलिपि–प्रधानाचार्य/निदेशक, के0एम0 फार्मेसी कालेज कुबेरपुर, एनएच-2, एत्माद्दपुर, आगरा, पिन-आगरा, 283201

कार्यालय,
सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक– माशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/ [illegible] [illegible]

–कार्यालय आदेश–

[illegible] डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरान्त प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ में [illegible] के अधीन [illegible] हेतु [illegible] की बैठक दि. 09-03-2021 को [illegible] पर विचार-विमर्श किया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति द्वारा दिये गये निर्णय के अनुक्रम में प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन संलग्नक एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

[illegible] दि0 [illegible] के लिये गये निर्णय के अनुक्रम में डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम की प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन संलग्नक एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

**संस्था का कोड एवं नाम : 1644-K.V.PHARMACY COLLEGE,KUBERPUR,NH-2, AETMADPUR,AGRA-283201**

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | एआईसीटीई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA IN PHARMACY | 60 | 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था एआईसीटीई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्रादेशिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्रादेशिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, उत्तरप्रदेश विनियमावली-2018 तथा समय समय पर निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय कुल प्रवेशवार रु0 90,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम रु0 60,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0- 30,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क की संस्था द्वारा फार्मेसी/महाविद्यालय को संचालित करने हेतु अनुमोदित; हेतु रू0- 2,00,000/- प्रतिवर्ष शुल्क की संस्था द्वारा प्रवेश किये जाने वाले छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में शासन-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और उन्हीं का पालन करना होगा। यदि संस्था द्वारा सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश किये जाने की सूचना परिषद को उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- संस्था को प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व, प्रवेश प्रक्रिया, संस्थाओं को स्वीकृत किये जाने, डिप्लोमाधारी छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में शासन-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और उन्हीं का पालन करना होगा।
- संस्था को प्रवेश प्रक्रिया पर संस्था की वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं, जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कोर्स, फैकल्टी, उपकरण, छात्र किस प्रकार शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- संस्था को विज्ञापन/प्रवेश हेतु समुचित व्यवस्था प्रवेश के समय करना होगा। यदि संस्था द्वारा प्रवेश प्रक्रिया अवैधानिक पायी जाती है तो संस्था के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा फार्मेसी/महाविद्यालय को चलाने हेतु निर्धारित समिति के समक्ष प्रस्तावित कार्यों एवं उपलब्ध भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में उपयोग किया जाता है और परिषद को इसकी यह जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कोर्स के लिए कर रही है तो प्रवेशित संख्या की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- सम्बद्धित शर्तों का अनुपालन न किए जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

पृ0सं0- माशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/ [illegible] दि0 दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि–प्रधानाचार्य/निदेशक, के0एम0 फार्मेसी कालेज, कुबेरपुर, एनएच-2, एत्माद्दपुर, आगरा, पिन-आगरा, 283201

कार्यालय,
सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक– माशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/0838 लखनऊ: दिनांक: 08/03/2021

–कार्यालय आदेश–

अधिकार प्राप्त समिति डिग्री परिषद, नई दिल्ली/पी0सी0आई0 प्रादेशिक कौंसिल, नई दिल्ली के 09 दिसम्बर, 2020 के निर्णय के अनुक्रम में डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रमों को अनुमोदित प्रवेश किये जाने के उपरान्त प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/अस्थाई सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 08/03/2021 को परिषद के परिसर में सम्बद्धता/अस्थाई सम्बद्धता हेतु दिनांक 09/03/2021 को समाहार समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आयोजित की गयी बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आयोजित नई संस्थाओं को सम्बद्धता तथा पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में समाहार समिति के निर्णय के अनुक्रम में डिप्लोमा फार्मेसी की संस्थाओं को प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन संलग्नक एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

**संस्था का कोड एवं नाम : 1644-K.V.PHARMACY COLLEGE,KUBERPUR,NH-2, AETMADPUR,AGRA-283201**

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | एआईसीटीई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA IN PHARMACY | 60 | 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था एआईसीटीई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्रादेशिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्रादेशिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, उत्तरप्रदेश विनियमावली-2018 तथा समय समय पर निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय कुल प्रवेशवार रु0 90,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम रु0 60,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0- 30,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क की संस्था द्वारा फार्मेसी/महाविद्यालय को संचालित करने हेतु अनुमोदित; हेतु रू0- 2,00,000/- प्रतिवर्ष शुल्क की संस्था द्वारा प्रवेश किये जाने वाले छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में शासन-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और उन्हीं का पालन करना होगा। यदि संस्था द्वारा सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश किये जाने की सूचना परिषद को उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- संस्था को प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व, प्रवेश प्रक्रिया, संस्थाओं को स्वीकृत किये जाने, डिप्लोमाधारी छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में शासन-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और उन्हीं का पालन करना होगा।
- संस्था को प्रवेश प्रक्रिया पर संस्था की वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं, जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कोर्स, फैकल्टी, उपकरण, छात्र किस प्रकार शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- संस्था को विज्ञापन/प्रवेश हेतु समुचित व्यवस्था प्रवेश के समय करना होगा। यदि संस्था द्वारा प्रवेश प्रक्रिया अवैधानिक पायी जाती है तो संस्था के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा फार्मेसी/महाविद्यालय को चलाने हेतु निर्धारित समिति के समक्ष प्रस्तावित कार्यों एवं उपलब्ध भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में उपयोग किया जाता है और परिषद को इसकी यह जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कोर्स के लिए कर रही है तो प्रवेशित संख्या की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- सम्बद्धित शर्तों का अनुपालन न किए जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

पृ0सं0- माशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/0838-0908 दिनांक: 08/03/2021

प्रतिलिपि–

1-प्रधानाचार्य/निदेशक,K.V.PHARMACY COLLEGE,KUBERPUR,NH-2, AETMADPUR,AGRA-283201

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव